राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006

फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676,

वेबसाईट : **www.rajexcise.gov.in** ई–मेल : **dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in**

अल्पकालीन ई–बिड दर अनुबंध आमंत्रण सूचना

रानी मदिरालय पर देशी मदिरा भराई प्रक्रिया (पव्वे/बोतल की धुलाई, भराई, सीलिंग, गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग, पैकिंग, स्टैकिंग इत्यादि) के कार्य हेतु दर संविदा

द्वि–भाग बिड

भाग– प्रथम

तकनीकी बिड

बिड क्रमांक– आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मदिरा भराई/खुली बिड/2020–21/39   दिनांक 25.11.2020

बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 03.12.2020 को सायं 6.00 बजे तक
बिड प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 03.12.2020 को सायं 6.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	:	दिनांक 04.12.2020 को दोपहर 03.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी
बिड प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 2360 मय जीएसटी मात्र
बिड प्रोसेसिंग मूल्य	:	रूपये 1000 मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

ई–बिड आमंत्रण सूचना

बिड क्रमांक–आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मदिरा भराई / खुली बिड / 2020–21 / 39   दिनांक 25.11.2020

1. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन रानी मदिरालय पर देशी मदिरा भराई प्रक्रिया (पव्वों / बोतलों की धुलाई, भराई, सीलिंग, गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग, पैकिंग, स्टैकिंग इत्यादि) के कार्य हेतु अल्पकालीन दर संविदा किये जाने के क्रम में इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति / फर्म / कंपनी से कार्य के निम्न विवरणानुसार ई–बिड आमंत्रित की जाती हैं :–

कार्य	अनुमानित व्यय	बिड प्रपत्र शुल्क / प्रोसेस फीस	अमानत राशि	दर वैधता अवधि	दिनांक / समय जिस तक बिड अपलोड करनी है	बिड खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
रानी मदिरालय पर देशी मदिरा भराई प्रक्रिया (पव्वों / बोतलों की धुलाई, भराई, सीलिंग, गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग, पैकिंग, स्टैकिंग इत्यादि) के कार्य हेतु दर संविदा।	रू. 15.27 लाख वार्षिक	रू. 2360 मय जीएसटी / रू. 1000	अनुमानित व्यय का 1 प्रतिशत (मदिरालय वार विवरण एनेक्सर एफ पर देखें)	90 दिवस	दिनांक 03.12.2020 सायंकाल 6.00 बजे तक	दिनांक 04.12.2020 दोपहर 03.00 बजे स्थान मुख्यालय, आरएसजीएसएम जयपुर

2. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा।
3. बिड प्रपत्र वेबसाइट www.rajexcise.gov.in or www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।

5- Bidders may pay the fee online also before the due date and upload the details online:

1) Online payment towards bid fee and bid security shall also be accepted along with the other methods mentioned in the bid. The bidders may deposit the requisite fee througha NEFT/ RTGS in the following bank account of RSGSM and upload copy of the deposition slip with details (viz. name of depositor, amount with break-up of the three types of fee, bank branch, bank transaction number, date, etc.) for verification:

Beneficiary Name:	Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd., Jaipur
Beneficiary Account Number:	25220200001309
Bank Name:	Bank of Baroda

Branch Name:	Bais Godam, Jaipur Branch
IFS Code:	BARB0INDBAI

2) The affidavits and other documents which are to be submitted on non-judicial stamp papers may be also submitted on letter heads of the bidder firm and the stamp duty towards these affidavits/ documents may be attached with them by uploading the e-challans of the stamp fee of the requisite amount deposited online on e-GRAS portal of Rajasthan government in the following budget head:

Non- judicial stamp paper/ notarial:	**0030-02-102-02-00** (Income from sale of other non-judicial stamps)

Please attach separate e-challan for each affidavit and ensure to **mention the NIB number in the remarks column of the challan.**

6. <u>ई–बिड प्रस्तुतीकरण के लिये बिडर्स हेतु निर्देशः–</u>

क बिड में भाग लेने वाले बिडर को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-II),इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्टॉनिक बिड में साइन करने हेतु काम आयेगा। बिडर उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिड दाताओं के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ख बिडर को बिड प्रपत्र इलेक्टॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

ग इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

घ कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिकी फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

ङ बिड प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

च ऑन लाईन बिड भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप बिड प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

छ बिडर, यदि आवश्यक हो तो, ऑनलाईन बिड सबमिशन के प्रशिक्षण हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, प्रथम तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के ई–प्रोक्यरमेन्ट सेल हेल्पडेस्क न. 0141–4022688, ई–मेलः eproc@rajasthan.gov.in वेबसाईटः www.eproc.rajasthan.gov.in से सम्पक्र कर सकते है।

ज बिड में सभी संशोधन बिड जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। बिडर द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

झ बिड शुल्क (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में), बिड प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में) के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ऑनलाईन जमा विवरणी एवं एनेक्सर 'बी' (रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) ऑफलाईन बन्द लिफाफे में बिड प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि एवं समय तक क्रय अनुभाग, आरएसजीएसमएम, सहकार भवन में जमा कराना होगा, ऑनलाईन जमाकर्ता ई–मेल से भी सूचित कर सकेगें। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें।

ञ बिडर यह भी सुनिश्चित करे कि बिड संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं बिड प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर बिडर को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

Dy. General Manager (Purchase)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006

फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676,

वेबसाईट : **www.rajexcise.gov.in** ई–मेल : **dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in**

बिड क्रमांक–आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मदिरा भराई / खुली बिड / 2020–21 / 39 दिनांक 25.11.2020

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन रानी मदिरालय पर देशी मदिरा भराई प्रक्रिया (पेट / ग्लास पव्वों / बोतल की धुलाई, भराई, सीलिंग, गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग, पैकिंग, स्टैकिंग इत्यादि) के कार्य हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति / फर्म / कंपनी से दिनांक 03.12.2020 को सांय 6.00 बजे तक ई–बिड आमंत्रित की जाती हैं। बिड संबंधी अन्य विवरण राज्य के उपापन पोर्टल (www.eproc.rajasthan.gov.in एव www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं संस्थान की वेबसाईट www.rajexcise.gov.in पर देखा जा सकता है।

उपमहाप्रबन्धक (क्रय)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

बिडर्स हेतु निर्देश	
बिड क्रमांक	आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मदिरा भराई / खुली बिड / 2020–21 / 39
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
उपापनीय सेवा का विवरण	रानी मदिरालय पर देशी मदिरा भराई प्रक्रिया (पव्वों / बोतल की धुलाई, भराई, सीलिंग, गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग, पैकिंग, स्टैकिंग इत्यादि) के कार्य हेतु अल्पकालीन दर संविदा।
बिड प्रपत्र का मूल्य	रू. 2360 मय जीएसटी का RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक / डीडी / ऑनलाइन जमा की सूचना व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड प्रोसेसिंग का मूल्य	रू. 1000 का MD, RISL (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक / डीडी / ऑनलाइन जमा व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वांछित है	उप महाप्रबंधक (क्रय) , राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर। फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676 ई–मेल : dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in
प्री बिड बैठक	नहीं
बिड की भाषा	हिन्दी व अंग्रेजी
बिडर को बिड के साथ संलग्न करना है	बिड की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखितानुसार
दरों की वैधता अवधि	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि से 90 दिवस
बोली प्रतिभूति राशि	एनेक्सर 'एफ' में वर्णितानुसार
अधिकृत करना	बिडदता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र
बिड प्रपत्र को डाउनलोड करना	www.rajexcise.gov.in or www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से **डाउनलोड किया जा सकता है।**
बिड डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 03.12.2020 को सायंकाल 6.00 बजे तक वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in
तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 04.12.2020 दोपहर 03.00 बजे www.eproc.rajasthan.gov.in द्वारा मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर।
वित्तीय बिड डाउनलोड करने की दिनांक व समय	ई–प्रॉक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी
अवधि जिसमें जमानत राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है	स्वीकृति पत्र जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि0 के संचालक मंडल द्वारा नियुक्त दो निदेशक ।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

मैं/हम .... (व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि) बहैसियत .... (पदनाम/प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम	————————————————————
	————————————————————
	————————————————————
कार्यालय पता	————————————————————
	————————————————————
	————————————————————
पत्र व्यवहार का पता	————————————————————
	————————————————————
	————————————————————
दूरभाष संख्या	कार्यालय ————————————————————
	निवास ————————————————————
	पता ————————————————————
	फैक्स ————————————————————
	ई–मेल ————————————————————
	मोबाईल ————————————————————

वैधानिक विवरणः–

आयकर विभाग पंजीयन(पैन)	————————————————————

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

माल एवं सेवा कर पंजीयन क्रमांक (GSTN) ——————————————————————————

कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 के अनुसार पंजीयन संख्या एवं दिनांक ——————————————————————————

पीएफ कोड संख्या ——————————————————————————

ई.एस.आई. में पंजीयन संख्या ——————————————————————————

माल एवं सेवा कर जमा की विवरणी का संदर्भ ——————————————————————————

बोली प्रतिभूति राशि मय मदिरालय का विवरण

डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ऑनलाइन जमा का विवरण एवं दिनांक ——————————————————————————

डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ऑनलाइन जमा का विवरण ——————————————————————————

बिडर के बैंक खाते का विवरण

बिडर का बैंक का नाम एवं शाखा ——————————————————————————

बिडर का बैंक खाता संख्या ——————————————————————————

बिडर का बैंक आरटीजीएस न0 ——————————————————————————

हस्ताक्षर ——————————————————————————

नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्ता ——————————————————————————

<u>नोटः उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।</u>

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
दर संविदा की विशेष शर्तें एवं नियम

टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त बिडर्स को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवें। यदि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।

1. संस्थान के **रानी** मदिरालय पर देशी मदिरा भराई प्रक्रिया (पव्वों/बोतल की धुलाई, भराई, सीलिंग, गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग, पैकिंग, स्टैकिंग इत्यादि) के कार्य की दर संविदा हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–बिड आमंत्रित की जाती हैं।
2. **कार्य का विवरणः–** स्टोर से खाली ग्लास/पेट पव्वें एवं बोतल सफाई/धुलाई स्थल तक लाना, धुलाई करना तथा धुलाई पश्चात इन्हें मशीन पर लाना, भराई करना, चैकिंग, सीलिंग, गमिंग मशीन द्वारा बैच नं. लगे हुए लेबल लगाने होंगे (सभी लेबलो पर बैंच नं., मदिरालय का नाम एवं दिनांक अंकित करने होंगे) तदोपरान्त निर्धारित मात्रा में कॉर्टन में पैक करने व भरे हुए कॉर्टन को वापिस स्टोर तक पहुँचाकर उन्हें जमाने होंगे। इसके पश्चात भराई स्थल, मशीन व स्टोर की पूर्ण साफ–सफाई करने के पश्चात प्रभारी को सुपुर्द करके ही जाना होगा। इस प्रकार खाली पव्वे स्टोर स्थान से लेकर, भरी मदिरा के कॉर्टन स्टोर में स्टेकिंग करने तक की समस्त प्रक्रिया का कार्य करना होगा। सफल बिडर द्वारा धुलाई, भराई, लैबलिंग एवं पैकिंग इत्यादि उक्त सभी कार्य दक्ष श्रमिकों से ही निष्पादित कराया जाना होगा।
3. गमिंग मशीन की आपूर्ति/व्यवस्था बिडर के स्तर पर की जावेगी तथा अनुबंध अवधि में उसकी मेन्टीनेस भी स्वयं बिडर द्वारा की/करवाई जावेगी ।
4. आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक शिफ्ट में भी कार्य करवाया जा सकता है।
5. आवश्यकता के आधार पर बिड का अनुमानित मूल्य राशि रूपये 15.27 लाख आंका गया है। बोली प्रतिभूति राशि बिड की अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से रू. 15,300/– होगी। उक्तानुसार मदिरालयवार जमा की जाने वाली बोली प्रतिभूति राशि के आधार पर बिड के ऑन–लाईन स्वीकार नहीं होने की स्थिति में बोली प्रतिभूति राशि के कॉलम में रूपये 15,300 वर्णित करें तथा एनेक्सर ''एफ'' अनुसार बिड शर्तों में वर्णित अनुसार वास्तविक बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी./अन्य विगत की स्केन प्रति बिड प्रपत्र के साथ संलग्न करें। बिड प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड स्वीकार योग्य नहीं होगी।
6. सफल बिडर को अनुबंध निष्पादन के समय अनुबन्ध राशि की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन राशि के रूप में जमा करानी होगी। इस राशि में बिड के साथ जमा करायी गयी बिड सिक्योरिटी की राशि समायोजित की जा सकेगी तथा शेष राशि और जमा करानी होगी। उक्त समस्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित हो जाने के पश्चात लौटायी जायेगी।
7. मदिरालय पर मदिरा भराई (पेट/ग्लास के पव्वों/बोतल की धुलाई, भराई, सीलिंग, लेबलिंग, पैकिंग, स्टैकिंग इत्यादि) से संबंधित समस्त कार्य के लिये वित्तीय बिड में दर अंकित करनी होगी।
8. बिडर को बिड के साथ ई.पी.एफ, ई.एस.आई, श्रम विभाग के पंजीयन, जी.एस.टी के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पैन संख्या से संबंधित दस्तावेजो की प्रतियाँ प्रस्तुत (अपलोड) करनी होगी, जिसके अभाव में बिडर की बिड निरस्त की जा सकेगी।

9. उक्त भराई कार्य के श्रमिकों को देय राशि पर ई.एस.आई/ई.पी.एफ, एवं अन्य कर बिडर को वहन करने होंगे। निर्धारित तिथि तक बिडर द्वारा ई.पी.एफ/ई.एस.आई की राशि जमा करवाकर चालान की एक प्रति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बिल के साथ भी संलग्न करनी होगी। ई.पी.एफ/ई.एस. आई रिटर्न बिडर द्वारा ही भरी जावेगी एवं श्रमिकों के ई.पी.एफ/ई.एस.आई समस्त हित/लाभ दिलवाने की जिम्मेदारी बिडर की होगी। इसके अभाव में बिडर को देय राशि के भुगतान में होने वाले विलम्ब का उत्तरदायित्व बिडर का स्वयं का होगा।
10. तकनीकी बिड के साथ माल एवं सेवाकर पंजीयन/ईएसआई/श्रम विभाग का पंजीकरण/आयकर विभाग से पैन नंबर आदि की सत्यापित प्रतियां कंपनी मुख्यालय में बिडर को प्रस्तुत करनी होगी। इनके अभाव में बिड को अस्वीकार कर दिया जावेगा। बिडर द्वारा प्रयुक्त श्रमिकों को ई.एस.आई. लागू होने की स्थिति में Workman Compensation Act में प्रदत्त लाभ ई.एस.आई. द्वारा प्रदान किये जायेगें। ई.एस.आई. लागू नहीं होने अथवा अन्य परिस्थिति में उक्त परिलाभ प्रदान नहीं किये जाने की स्थिति में भुगतान का समस्त दायित्व सफल बिडर का होगा।
11. बिडर के उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की उदासीनता के कारण यदि संस्थान को सामग्री / ग्लास पव्वे तथा अन्य पैकिंग मैटिरियल में टूट फूट के रूप में किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि होती है तो उसके लिये बिडर उत्तरदायी होंगे तथा बिडर को ऐसी क्षति राशि की पूर्ति करनी होगी।
12. कान्ट्रेक्टर का लेबर रेग्यूलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड अबोलिशन) एक्ट, 1970 एवं बाद में उक्त एक्ट में किये गये संशोधन सहित इसके समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी।
13. बिडर को न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी जिसके अभाव में उत्पन्न किसी भी स्थिति के लिये बिडर स्वयं उत्तरदायी होंगे।
14. निर्धारित नॉर्म्स एवं दिशा निर्देशों के अधीन पूर्ण रूप से भरे हुए कार्टन पैकिंग की गणना व तत्संबंधी प्रभारी मदिरालय के सत्यापन के उपरान्त ही भराई कार्य के लिये बिडर को मासिक आधार पर भुगतान किया जावेगा।
15. प्रभारी मदिरालय प्रतिदिन संस्थान की मदिरा केसेज की आवश्यकता / मांग भराई से ठेकेदार को अवगत करायेंगे जिसके लिये मांग रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिस पर प्रतिदिन मदिरा केसेज की आवश्यकता/मांग को अंकित करते हुए प्रभारी मदिरालय एवं भराई ठेकेदार/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करवाये जायेगें एवं भराई पूर्ण होने के पश्चात् भरी मदिरा केसेज की मात्रा का अंकन कर उस पर भी प्रभारी मदिरालय एवं भराई ठेकेदार/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करावाये जायेंगे।
16. यदि बिडर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पेटी भराई एवं पैकिंग कार्य करने में असफल रहता है तो ऐसे कम भराई किये गये केसेज के लिये रू. 10 प्रति पेटी की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी जिसकी वसूली बिडर के देय मासिक भुगतान से की जावेगी। बिडर को संस्थान की मांग एवं मशीन की क्षमता अनुसार उत्पादन करना होगा।
17. प्रत्येक केस में 48 पव्वे एवं प्रत्येक केस में 12 बोतल होना आवश्यक होगा। इस क्रम में कोई भी त्रुटि/कमी पाये जाने पर संस्थान को होने वाले नुकसान/दायित्व की जिम्मेवारी बिडर की होगी।
18. कम गुणवत्ता की मदिरा की भराई बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जावेगी। निरन्तर कम गुणवत्ता के परिणाम रहने की दशा में बिडर की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर अन्यत्र कार्य कराया जा सकेगा तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। गुणवत्ता से अभिप्राय है कि पव्वों में निर्धारित मात्रा में मदिरा की भराई करनी होगी, निर्धारित से कम/अधिक मात्रा की भराई स्वीकार्य नहीं होगी। मात्रा में कोई भी कमी/बेशी पाये जाने पर संस्थान को होने वाले नुकसान/दायित्व की जिम्मेवारी बिडर की होगी। इसी प्रकार प्रत्येक पव्वे पर सीलिंग एवं लेबलिंग कार्य उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। लीकेज पव्वा एवं टेढ़े–मेढ़े लेबल अथवा बिना लेबल पव्वे

स्वीकार्य नहीं होंगे। इस क्रम में कोई भी त्रुटी/कमी पाये जाने पर संस्थान को होने वाले नुकसान/दायित्व की जिम्मेवारी बिडर की होगी।

19. बिडर दैनिक आधार पर कार्य करने वाले श्रमिकों के नाम, पते, आई.डी. गोदाम प्रभारी को उपलब्ध करायेगें तथा बिडर स्वंय भी अपने रजिस्टर में उनके संबंध में उक्त सभी सूचना संधारित करेगें, एक प्रति सुरक्षा गेट पर प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे। श्रमिकों के आधार कार्ड/फोटोयुक्त आईडी की एक छायाप्रति स्वयं के अभिलेख में अवश्य रखेगें। अधिकृत बिडर के कार्मिक पहचान के लिए फोटो युक्त आई.डी. प्रूफ धारण करना आवश्यक होगा।
20. बिडर को मदिरा भराई एवं धुलाई कार्य आबकारी विभाग के नियमानुसार एवं संस्थान की प्रक्रिया / निर्देशानुसार करवाना होगा। श्रमिकों के किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां/अपराधिक मामलों में लिप्त पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी। संस्थान को संबंधित श्रमिक के कारण होने वाले नुकसान की वसूली बिडर से की जावेगी, साथ ही अपेक्षित विधिक कार्यवाही की जावेगी।
21. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
22. कार्य में प्रयुक्त सभी कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त विधिक प्रावधानों/दायित्वों के लिये बिडर स्वंय उत्तरदायी होंगे।
23. बिडर द्वारा सभी मशीनों पर कार्य करने के लिये अनुभवी श्रमिकों को ही लगाया जावेगा एवं कोई भी बाल श्रमिक नहीं रखा जायेगा।
24. श्रमिकों के द्वारा कार्य की अवधि के दौरान यदि मशीन में किसी प्रकार की टूट–फूट या क्षति होती है तो उसके लिये सफल बिडर स्वंय जिम्मेदार होंगा एवं संस्थान को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति सफल बिडर को करनी होगी।
25. कोई दर संविदा, न्यूनतम कीमत वाली बोली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली के बोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना, कीमत के लिए की जायेगी।
26. अनुबंध की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये होंगी, जिसे संस्थान की आवश्यकतानुरूप आरटपीपी नियमों के प्रावधानान्तर्गत विद्यमान दर संविदा उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेंगी।
27. इस अनुबन्ध के तहत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित क्लॉज के तहत कानूनी कार्यवाही के लिये वाद क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।
28. सेमी ऑटोमेटिक भराई मशीनों का निर्धारित क्षमता (उत्पादन) या मांग अनुसार उत्पादन नहीं देने पर उचित नोटिस जारी कर आप के रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य स्त्रोतों से कार्य करवाया जावेगा।
29. प्रतिदिन कार्य सम्पन्न होने पर मशीनों की साफ–सफाई का कार्य बिडर को करना होगा।
30. बिडर को राज्य/केन्द्रीय सरकार के संबंधित नियमों की पालना करनी होगी तथा आपके बिलों में से नियमानुसार आयकर/ अन्य टैक्स या अन्य वैधानिक कटौतियां की जावेगी।
31. बिड प्रपत्र अनुबन्ध का भाग होगा।
33. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने या कार्य सन्तोषजनक नहीं करने की स्थिति में इस अनुबन्ध के अन्तर्गत जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मय 18 प्रतिशत जीएसटी आंशिक अथवा पूर्ण जब्त की जा सकेगी।
34. यदि सफल बिडर का कोई श्रमिक कार्य सही ढंग से नहीं करता है एवं कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे हटाना होगा।

35. दो प्रतियो में सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।
36. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार बिड प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
37. यदि सामान्य शर्तों एवं विशेष शर्तों में कोई विरोधाभास हो तो विशेष शर्त में विहित आशय ही मान्य किया जावेगा।
38. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं की जावेगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक अपलोड की गई बिड को मुख्यालय की उपापन समिति द्वारा बिडर या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला (डाउनलोड) जावेगा।
39. बिडर की तकनिकी बिड में सफल होने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी, तथा वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से बिडर को प्राप्त हो जावेगी।
40. बिडर द्वारा दरें वित्तीय बिड (BOQ) में ही प्रस्तुत की जावे तथा जीएसटी की दर को पृथक से दर्शायें। यदि जीएसटी पृथक से नहीं दर्शाया जायेगा तो यह माना जायेगा कि प्रस्तुत दर जीएसटीसहित है।
41. बिडर को बिड प्रपत्र की सभी शर्तों व नियमों से सहमति का 100/–रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र ही प्रस्तुत करना होगा।
42. बिडर किसी एक या सभी मदिरालयों के लिये बिड में दर उद्धृत कर सकता है।
43. सभी मदिरालयों के लिये एक ही बिड प्रपत्र काम में लिया जायेगा तथा वित्तीय बिड में मदिरालयवार दरें (पृथक–पृथक) अंकित की जायेगी।
44. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। वर्तमान में संस्थान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा।
45. उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
46. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
47. किसी मदिरालय विशेष के लिये कार्य विवरण में प्राप्त दरों में दो या अधिक बिडर्स की दरें एक समान न्यूनतम प्राप्त होने की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
48. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में बिडर व उपापन संस्था के मध्य विवाद होने की स्थिति में बिडर द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को लिखित अनुरोध कर एकल पंच की नियुक्ति करा सकता है। एकल पंच द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा तथा एकल पंच के पारिश्रमिक व अन्य व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
49. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।

50. बिडर का राजस्थान ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (यदि लागू हो) /राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 अथवा इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत अथवा इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत लाईन्सेस/रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

51. बिडर/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र. सं.	विवरण	लाईन्सेस/रजि. सं.	दिनांक	वर्ष	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1932 के अन्तर्गत				

52. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

53. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

54. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

55. वित्त (G&T)विभाग के परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 सपठित श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.08.2020 के क्रम के सफल बिडर को जॉब बेसिस कार्य सम्पादित कराने हेतु प्रयुक्त ठेका श्रमिको को निम्नानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी व सम्मुख अंकित EPF,EDLI,ESI भुगतान करना होगाः–

क्र.म.	श्रमिक	न्यूनतम मजदूरी	EPF	Admistration and EDLI Charges	ESI
1	उच्च कुशल	7774/–	श्रमिक–12 %	ठेकेदार–0.55 %	श्रमिक–1.75 %
			ठेकेदार–12 %		ठेकेदार–4.75 %
2	कुशल	6474/–	श्रमिक–12 %	ठेकेदार–0.55 %	श्रमिक–1.75 %
			ठेकेदार–12 %		ठेकेदार–4.75 %
3	अर्ध्द कुशल	6162/–	श्रमिक–12 %	ठेकेदार–0.55 %	श्रमिक–1.75 %
			ठेकेदार–12 %		ठेकेदार–4.75 %
4	अकुशल	5850/–	श्रमिक–12 %	ठेकेदार–0.55 %	श्रमिक–1.75 %
			ठेकेदार–12 %		ठेकेदार–4.75 %

नोट :– उक्त न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में कार्यादेश/बिड़ अवधि के दौरान परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तित दरों के अनुसार भुगतान ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को दिया जावेगा।

56. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

57. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

58. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display board लगाये जायेगें जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

59. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

60. संवेदक द्वारा श्रमिकों कों देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रुप के देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करावाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही आगामी माह के बिल में जी.एस.टी. का भुगतान किया जावेंगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

61. श्रम विधिओं के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधिओं के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

62. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये ठेका श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

63. नियोजित ठेका श्रमिकों के द्वारा 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विहित प्रावधानों के अनुसार ही उन्हें को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बिडर का होगा।

64. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

65. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और , नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करगी।

66. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृति करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

67. **कार्यानुभव :– बिड के अन्तर्गत ऐसे बिडर ही भाग ले सकेंगें जिनके पास गत चार वर्षों की अवधि में सेमी ऑटोमेटिक बॉटलिंग लाईन पर द्रव्य पदार्थ भराई करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होगा। इस हेतु समर्थन में उन्हें सरकारी/गैर सरकारी विभाग द्वारा जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति बिड दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करनी होगी।**

68. उपापन संस्थान द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
बिड एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त का आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम, 2013 से विरोधाभास हो तो आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम, 2013 का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. बिडर को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में बिड ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में बिडर द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को बिडर द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बिडर की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। (ऑनलाइन हेतु मान्य नहीं)
4. विधिमान्यता :–बिड, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
5. बिडर अपने संविदा कार्य को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या सब–कोन्ट्रेक्ट पर नहीं देगा।
6. निरीक्षण :– (क) संस्थान या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एंव कर्म कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

   (ख) बिडर अपने कार्यालय, गोदाम एवं वक्रशाप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पक्र करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय संस्थान की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बिडर को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद संस्थान किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
8. बिडर या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
9. बोली प्रतिभूति राशि :–

   (1) बिड के साथ बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

   क शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

   ख ऑनलाइन जमा।

   (2) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय :– असफल बिडर की बोली प्रतिभूति राशि बिड को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद 60 दिवस में लौटायी जाएगी।

   (3) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बिड के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन राशि को

नयी बिड के लिए बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

10. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :–बोली प्रतिभूतिराशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(1) जब बिडर बिड खोलने के बाद किन्तु बिड को स्वीकार करने के पूर्व, प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब बिडर विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब बिडर प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

11. करार एंव कार्य सम्पादन राशि :–

(1) सफल बिडर को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा बिड के कुल मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन राशि जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन राशि क्रार्यादेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।

(2) बिड के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन राशि के लिए समायोजित किया जाएगा।कार्य सम्पादन राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी ।

(3) कार्य सम्पादन राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) कार्य सम्पादन राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

क बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(5) कार्य सम्पादन राशि का समपहरण :–प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

क जब संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ख जब बिडर सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।

ग प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडर द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

12. भुगतान :–

(1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडर द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडर द्वारा वहन किए जाएंगे।

(2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(3) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

13. वसूलियां :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन राशिसे की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

14. यदि बिडर ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से

किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

15. संस्थान किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से अधिकतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडर ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

16. बिडर करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–
    (1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।
    (2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
    (3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
    (4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

17. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा।

18. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बिडर) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

19. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं जावेगी।

20. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपलोड की गई बिड को मुख्यालय की उपापन समिति (क्रय समिति) द्वारा बिडर या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला(डाउनलोड) जावेगा।

21. बिडर की तकनिकी बिड में सफल होने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी, तथा वित्तीय बिड खोलने की सूचनाई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से बिडर को प्राप्त हो जावेगी।

22. तकनिकी बिड के साथ माल एवं सेवाकर पंजीयन (GSTN)/ईएसआई/पी.एफ./आयकर विभाग से पैन नंबर आदि की सत्यापित प्रतियाँ बिडर द्वारा बिड प्रपत्र के साथऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। इनके अभाव में बिड को अस्वीकार कर दिया जावेगा।

23. संबंधित सफल बिडर को स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर–2 अनुबंध करना होगा व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबंध के समय पर जमा करानी होगी।

24. संस्थान न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। साथ ही बिना कारण बताये बिड को निरस्त किया जा सकेगा।

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.

ii. If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

iii. In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large

and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure "E"

चैक लिस्ट (तकनीकी बिड)

(तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1.	बिडर का नाम	
2.	हैसियत जिसके तहत बिड प्रस्तुत की जा रही है– 1 व्यक्ति 2 फर्म (साझेदारी डीड की प्रति संलग्न) 3 कंपनी (मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न)	
3.	सम्पर्क पता पिनकोड दूरभाष ई–मेल	
4.	पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न करें)	
5.	बोली प्रतिभूति राशि (बैंकर चैक / डीडी / ऑनलाईन जमा का विवरण) बिड प्रपत्र फीस (बैंकर चैक / डीडी / ऑनलाईन जमा का विवरण) प्रोसेसिंग फीस (बैंकर चैक / डीडी / ऑनलाईन जमा का विवरण)	
6.	शपथ पत्र (बिड दस्तावेज का एनेक्सर '' बी '') (प्रमाण में दस्तावेज संलग्न करें)	
7.	वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन संख्या (GSTN) (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
8.	वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन की अंतिम जमा विवरणी (चालान की छायाप्रति संलग्न करें)	
9.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 1. रजिस्ट्रेशन संख्या 2. वर्ष 3. पंजीकरण दिनांक (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
10.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 1. रजिस्ट्रेशन संख्या 2. वर्ष 3. पंजीकरण दिनांक (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
11.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या	

	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत 1. रजिस्ट्रेशन संख्या 2. वर्ष 3. पंजीकरण दिनांक (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें एवं दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

Annexure "F"

रानी मदिरालय पर देशी मदिरा भराई प्रक्रिया (पव्वों/बोतल की धुलाई, भराई, सीलिंग, गमिंग मशीन का उपयोग करते हुए लेबलिंग, पैकिंग, स्टैकिंग इत्यादि) के कार्य हेतु दर संविदा का वार्षिक अनुमानित व्यय

क्रम संख्या	मदिरालय	मदिरालय वार वार्षिक अनुमानित व्यय (राशि लाख में)	बिड सिक्योरिटी 1 प्रतिशत (राशि रू. में) निकटतम 100 के पूर्णांक में
1.	रानी	15.27	15300

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

SR FORM-17

AGREEMENT
(See Rule 68)

An agreement made this ……………………..day of …………….between ……………………………………. (hereinafter called **"the approved supplier"**, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and **the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** (herein after called "**the RSGSM**" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the RSGSM to supply to the_________ of the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. at its Head Office as well as at branches offices throughaout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column__________ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs._____ in _________.

   (1) Cash/Bank Draft/Bank Guarantee /Banker Cheque No.____________________ dated_________.

   (2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

   (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:

   (1) In consideration of the payment to be made by the Government througha_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in_________ and _________ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

   (2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No._____ dated_______ and also appended to this

agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(3) Letters Nos._______ received from tenderer and letters nos.______ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(4)

(a) The RSGSM do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RSGSM will througha_______ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1.___________________

2.___________________

3.___________________

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

a) w.e.f. date of execution of agreement i.e. ……………. to up to one year i.e. ……………..

6. (1)(i)In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-

S. No.	Items Quantity	Delivery period
a)	Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period.	2½% + 18% GST
b)	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period.	5% + 18% GST
c)	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	7½% + 18% GST
d)	Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	10% + 18% GST

Note :

(i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10% + 18% GST

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the......... day of ....201.......

Signature of the approved supplier.	**Signature for and on behalf of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** Dy. General Manager (Purchase)
Date:	Date:
Witness No. 1	Witness No. 1
Witness No.2	Witness No.2